भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3929**

जिसका उत्तर दिनांक 17.07.2019 को दिया जाना है

**परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करना**

3929. श्री पी.पी. चौधरी :
श्रीमती प्रतिमा भौमिक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की गतिविधियों हेतु निधि सृजित करने हेतु उपयोगकर्ताओं से "संयंत्र बंद करने का उपकर" एकत्र करना भी आरंभ कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा संयत्रों पर 'कैप लाइफ' लगाई जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मानदंड क्या हैं?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) वर्तमान में, किसी भी नाभिकीय विद्युत संयंत्र को डीकमीशन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अंतत: नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का डीकमीशनन, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के डीकमीशनन संबंधी संरक्षा गाइड़ों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) जी, हाँ । भविष्य में, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की डीकमीशनन गतिविधियों की अर्थव्यवस्था करने के लिए डीकमीशनन उगाही (वर्तमान में बिक्री की गई बिजली का 2 पैसा प्रति यूनिट) कर डीकमीशनन फंड में राशि जमा की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं । नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की डिज़ाइन अंतर्निहित रूप से मजबूत है । प्रणालीगत आयु मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर तथा आवश्यक आयु विस्तार उपाय करके, उनका प्रचालन, उनकी आरम्भिक इकोनॉमिक आयु के बाद भी किया जा सकता है । इन उपायों को अपनाते हुए, संयंत्रों की आयु, नियामक प्राधिकारी, एईआरबी के अनुमोदन के अनुसार विस्तारित की जाती है । यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति रही है और इसे ही भारत में अपनाया गया है ।

*******